



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिक से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व ₹23,000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई ,"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत अ०सं० 1083/2015, धारा- 457,354बी,504,506 भा०द०सं० व 8 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र तुलसीदास निवासी मनकरही थाना जरिया जनपद हमीरपुर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹23,000 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक उ०नि० श्री राजा दुबे



पैंरोकार जरिया श्री का० संतोष यादव